4/7/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के पत्र क्रमांक भू.अ./19/3086 दिनांक 02.07.2019 से जाहिर होता है कि विवादित आराजी मे से वादी ने अपने हिस्से की आराजी का दीगर आसामी को बेचान कर दिया है। वादी ने खरीददारो को पक्षकार बनाने बाबत न्यायालय को जानकारी नही दी है और न ही क्रेतागण को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विवादित आराजी मे बेचान के बाद वादी के हित निहित नही रहे है और वादी द्वारा क्रेतागण को पक्षकार न बनाने के कारण आवश्यक पक्षकारो के अभाव मे दावा चलने योग्य नही है। अत: आदेश है कि दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner